न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 89 / 2015 / बाड़मेर

अपीलांट

1. श्रीमती अणछ कंवर बेवा हुकमसिंह उम्र 60 वर्ष
2. वीरसिंह पुत्र हुकमसिंह उम्र 25 वर्ष
3. भोजराजसिंह पुत्र हुकमसिंह उम्र 23 वर्ष जाति राजपूत निवासी थूम्बली तहसील शिव जिला बाड़मेर।

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.तनसिंह पुत्र सुजानसिंह
2.शैतानसिंह पुत्र सुजानसिंह
3.सरेकंवर पत्नी सुजानसिंह
4किशनकंवर पत्नी खुमणासिंह
5.कंवराजसिंह पुत्र भंवरसिंह
6.कमलसिंह पुत्र भंवरसिंह
7.नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी थूम्बली तहसील शिव जिला बाड़मेर।
8.राज. राज्य जरीये श्रीमान तहसीलदार साहब, शिव

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 229/2011 बअनवान श्रीमती अणछकंवर बनाम तनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री काछबाराम खोथ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः— 07.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 01 के ससूर, अपीलांट संख्या 02 व 03 के दादा स्व. महेशसिंह की खातेदारी एवं जागीरदारी के खेत मौजा थूम्बली तहसील शिव में वक्त बन्दोबस्त से पूर्व से चले आ रहे है। जो खेत खसरा संख्या 166 रकबा 37.04 बीघा, खसरा संख्या 169 रकबा 29.02 बीघा, खसरा संख्या 264 रकबा 12.15 बीघा के चले आ रहे है। अपीलाधीन आराजी के अलावा पक्षकारान के पूर्व पुरूष महेशसिंह की खातेदारी व जागीरदारी के खेत खसरा संख्या 97 रकबा 379.08 बीघा व खसरा संख्या 445/81 रकबा 31.02 बीघा, खसरा संख्या 99 रकबा 64.18 बीघा, खसरा संख्या 83 रकबा 23.04 बीघा, खसरा संख्या 190 रकबा 50 बीघा, खसरा संख्या 231 रकबा 22.17 बीघा, खसरा संख्या 164 रकबा 21.02 बीघा, खसरा संख्या 168 रकबा 57.05 बीघा, खसरा संख्या 292 रकबा 10.15 बीघा, खसरा संख्या 161 रकबा 29.02 बीघा है जो वर्तमान में भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। जिसमें वक्त बंदोबस्त अपीलांटगण के पति–पिता का नाम दर्ज है। लेकिन अपीलाधीन आराजी में मंगलसिंह द्वारा जानबुझकर अपीलांटगण के वालिद हुकमसिंह का नाम दर्ज नहीं हुआ। अपीलाधीन आराजी पक्षकारान के पूर्व पुरूष महेशसिंह की होने से पक्षकारान की पैतृक, पुश्तैनी है। जिसमें अपीलांटगण का 1/3 हिस्सा, उतरदाता संख्या 01 से 04 का 1/3 हिस्सा व उतरदाता संख्या 05 से 07 का 1/3 हिस्सा है। अपीलांटगण के वालिद हुकमसिंह निरक्षकर व परिवार में छोटे थे। अपीलाधीन आराजी के खसरा संख्या 166, 169 व 264 का पर्चा लगान जारी करवाया गया जिससे अपीलांटगण बावजूद हक एवं कब्जा काश्त के खातेदारी से महरूम हो गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोकअदालत कैम्प कोर्अ आकली में अपीलांटगण/वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या 08 श्रीमती इन्द्राकंवर का देहान्त हो जाने के आधार पर अबेट किया गया। अपीलांटगण को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से अपीलांट का प्रतिवादी संख्या 08 श्रीमती इन्द्राकंवर के फौत हो जाने का प्रार्थना–पत्र नहीं लिया गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 08 श्रीमती इन्द्राकंवर के तीन पुत्र कंवराजसिंह, कमलसिंह व नारायणसिंह अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 05 से 07 के रूप में पूर्व से ही वाद में पक्षकार होने से मृतका प्रतिवादी संख्या 08 श्रीमती इन्द्राकंवर के फौत हो जाने से विपरित असर नहीं पड़ता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पत्रावली अंतिम बहस में होने के बावजूद भी मेरिट पर निर्णय नहीं कर भारी भूल की गई होने के बावजूद भी मेरिट निर्णय पारित नहीं किया गया। विधि के सुस्थापित नियमों के अनुसार न्यायालय द्वारा कायमी तनकीयात पर प्रत्येक तनकीयात पर निर्णय पारित करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोकअदालत कैम्प कोर्अ आकली में अपीलांटगण/वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

08 श्रीमती इन्द्राकंवर का देहान्त हो जाने के आधार पर अबेट किया गया। अपीलांटगण को अपना पक्ष रखने का अवसर तक नहीं दिया जाकर निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रीडर द्वारा पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से अपीलांट का प्रतिवादी संख्या 08 श्रीमती इन्द्राकंवर के फौत हो जाने का प्रार्थना–पत्र नहीं लिया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। प्रतिवादी संख्या 08 श्रीमती इन्द्राकंवर के तीन पुत्र कंवराजसिंह, कमलसिंह व नारायणसिंह अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 05 से 07 के रूप में पूर्व से ही वाद में पक्षकार होने से मृतका प्रतिवादी संख्या 08 श्रीमती इन्द्राकंवर के फौत हो जाने से विपरित असर नहीं पड़ता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पत्रावली अंतिम बहस में होने के बावजूद भी मेरिट पर नहीं कर भारी भूल की गई। विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार न्यायालय द्वारा कायमी तनकीयात पर प्रत्येक तनकीयात पर निर्णय पारित करना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांट पक्ष द्वारा रेस्पोडंअ संख्या 08 श्रीमती इन्द्रकंवर की फौतेगी की सूचना समय पर नहीं दी और न ही उनके कायम मुकाम को रिकॉर्ड मे लेने हेतु कोई आवेदन ही पेश किया। विहित समयावधि में फोतगी की सूचना एवं कायम मुकाम रिकॉर्ड पर नहीं लेने से मृतक के विरूद्ध कोई दावा नहीं चल सकता लिहाजा वह अबेट हो गया। अधीनस्थ न्ययालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन निर्णय लोक अदालत कैम्प में प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रतिवादी संख्या 08 इन्द्रकंवर का प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण–पत्र के आधार पर कर दिया गया। परन्तु दावा अबेट हो जाने की विधिवत आवेदन पेश कर उनके द्वारा सूचना नहीं दी गई। वादीपक्ष को इस तथ्य की जानकारी दी जानी चाहिए थी और यदि वे निर्धारित अवधि में मृतक के कायम मुकाम की सूची एवं उन्हे रिकॉर्ड पर लेने का आवेदन नहीं कर पाते तो आदेश 22 नियम 04(2) के प्रावधानों के अनुसरण में वाद का, जहां तक वह मृत प्रतिवादी के विरूद्ध है, उपशमन हो जाता। पूर्ण दावा ही अबेट होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 229/2011 बअनवान श्रीमती अणछकंवर बनाम तनसिंह में पारित निर्णय दिनांक 09.06.2015 को अपास्त कर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वाद में मृतक के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने हेतु वादीपक्ष को समुचित जानकारी दी जाकर अवसर प्रदान करे। तत्पश्चात वाद में अग्रसर होकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

7/8/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

7/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner